



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 104/IQAC/CAS/2025/100/ 272
दिनांक : 06.10.2025

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों से कैरियर प्रोन्नयन योजना (CAS) संबंधी समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जाँच एवं विचार कर अनुशंसा देने हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक जाँच समिति का गठन किया जाता है, जो अगले आदेश तक कार्यरत रहेगी—

प्रो. प्रीति सागर, प्रोफेसर, हिंदी साहित्य विभाग	: अध्यक्ष
प्रो. फरहद मलिक, प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग	: सदस्य
डॉ. शंभू जोशी, एसोशिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय	: सदस्य
सहायक कुलसचिव, स्थापना एवम् प्रशासन विभाग	: संयोजक

यह समिति समर्थ पोर्टल पर प्राप्त सभी CAS आवेदनों की प्रारंभिक जाँच कर अपनी अनुशंसाएँ आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ को अग्रेतर प्रक्रिया हेतु प्रस्तुत करेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
06/10/25

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त संबंधित।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
4. वित्ताधिकारी (कार्यवाहक)
5. परीक्षा नियंत्रक
6. स्थापना एवम् प्रशासन विभाग
7. प्रभारी लीला (विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
8. रक्षित पत्रावली